अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग

क्रमांक प. 3(7)शिक्षा/4/2007

जयपुर, दिनांक : 13/8/20

कुल सचिव,
समस्त राज्यपोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान

विषय : विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने एवं परीक्षाओं के संबंध में कार्य योजना बाबत्।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020 एवं 30.07.2020

म्होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के स्तर पर विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालयों की सत्र 2019–20 की बकाया परीक्षाओं एवं परिणाम घोषित किये जाने के संबंध में सुझाव प्रेषित किये गये थे। जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी परीक्षाओं की कार्य योजना से संबंधित समिति का परामर्श यथा विश्वविद्यालय मध्यवर्ती वर्षो/सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने में असमर्थ हाने की स्थिति में परीक्षार्थियों को 50 प्रतिशत अंक पूर्ववर्ती वर्षो सेमेस्टर में प्राप्त अंको के आधार पर तथा 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान कर अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु अवगत कराया गया था।

जिसमें यह भी स्पष्ट अवगत कराया गया था कि प्रथम् वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं व 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर अंक दिये जा सकते है एवं स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में अर्जित अंको के आधार पर तथा 5 प्रतिशत बोनस अंक देकर प्रोन्नत किया जा सकता है।

इस संबंध में अन्तिम वर्ष /टर्मिनल सेमेस्टर के परिसर, संगठन महाविद्यालयों तथा संबद्व महाविद्यालयों के नियमित/स्वयंपाठी आदि सभी वर्गो के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई व्यवस्था से भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। स्नातकोत्तर पूर्वार्द्व के विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबंध अथवा असाईमेंट देकर अंक आवंटित किये जा सकते हैं

यह भी स्पष्ट अवगत कराया गया था कि फिर भी अगर कोई विद्यार्थी उपर्युक्त निर्धारित प्रणाली से प्राप्त अंको से संतुष्ट नहीं है तो उसे कोविड–19 की स्थिति सामान्य होने पर आगामी परीक्षा में अंक सुधार हेतु अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार विधि संकाय में बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जानी है। एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में जब भी अनकूल समय हो परीक्षा आयोजित करवाये जाने हेतु अवगत कराया गया जा चुका है।

............2

Scanned with CamScanner

विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने में विलम्ब के कारण विद्यार्थी वर्ग में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अतः समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुए परीक्षा परीक्षामों को जारी किये जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक निर्णय लिया जाये। कृपया निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।

कृपया प्रकरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें।

सलंग्न : विभागीय पत्र दिं. 30.08.2020
की छाया प्रति

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. कुलसचिवगण, समस्त संबंधित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय।
7. कुलसचिवगण, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner